अध्याय - IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

अध्याय– IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

4.1 उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण पर दीर्घ कंडिका

4.1.1 तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने वर्ष 2001 में, राज्य सरकार के अनुमोदन से विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अन्तगर्त प्रदत्त शक्ति के आधार पर उपभोक्ताओं विशेषतः उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ (एच0टी0एस0एस0) की प्रेरण भट्ठी (प्रेरण भट्ठी पिघलने के फलस्वरूप न्यूनतम हानि को कायम रखते हुए धातुओं की एक विस्तृत विविधता के पिघलने और एलॉयिंग के लिए बिजली की धाराओं का उपयोग करता है) जिसकी संविदा माँग 300 के0भी0ए0 अथवा अधिक हो, हेतु विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण किया। साथ ही, नवम्बर 2006 से बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा निर्गत विभिन्न टैरिफ आदेशों में अन्य प्रावधानों के साथ–साथ एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं हेतु भी प्रावधान शामिल था।

बिजली के वितरण से सम्बन्धित कार्यकलाप तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाता था। बोर्ड को, 01 नवम्बर 2012 से प्रभावी, कार्यात्मक आधार पर पाँच उत्तराधिकारी कम्पनियों में बाँटा गया, यथा, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड।

एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं को 2010–13 की अवधि के दौरान 394.88 मिलियन किलो वॉट हॉवर (एम0के0डब्ल्यू0एच0) से लेकर 476.39 एम0के0डब्ल्यू0एच0 इकाई बिजली का विक्रय किया गया जो राज्य में विक्रय किये गये कुल बिजली इकाईयों का 5.9 प्रतिशत से 11.95 प्रतिशत था।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ (एच0टी0एस0एस0) उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण की लेखापरीक्षा की गई चूँकि एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं को विक्रय की गई बिजली इकाई की प्रतिशतता राज्य में विक्रय किये गये बिजली की कुल इकाईयों के साक्षेप वर्ष 2011–12 में 5.9 प्रतिशत से अर्थवान रूप से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 11.95 प्रतिशत हो गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

4.1.2 वर्ष 2010–14 की अवधि के दौरान साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं को विक्रय किये गए बिजली ईकाईयों के

संबंध में विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गयी कि:

- बी0ई0आर0सी0 द्वारा समय–समय पर निर्गत किए गये टैरिफ आदेशों एवं नियमों की संविदा माँग के निर्धारण एवं उनके अग्रेतर संशोधनों से सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन हुआ हो;
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसियों के निष्पादन मानकों) विनियमन, 2006 का अनुपालन हुआ हो; एवं
- लागू टैरिफ के अनुसार विपत्रीकरण हुआ हो एवं विपत्रीकरण तथा संग्रहण प्रक्रिया की दक्षता आकलन करने हेतु।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

4.1.3 कम्पनी के मुख्यालय स्तर पर कुल 16 उपभोक्ताओं में से 12 एच0टी0एस0एस0 से संबंधित उपभोक्ताओं के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाना, समापन सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रबन्धन से लेखापरीक्षा परिणामों पर विचार विमर्श एवं प्रबन्धन/सरकार को उनके मन्तव्य हेतु दीर्घ कंडिका का निर्गमन जैसी कार्यप्रणाली शामिल था। लेखापरीक्षा वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि हेतु की गई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.1.4 बिजली की इकाईयों की बिक्री की संबंध में एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण पर लेखापरीक्षा परिणामों की परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

संविदा माँग का अल्प–निर्धारण

4.1.5 बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश 2012–13 और 2013–14 के कंडिका 7.4, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करता है कि एक नवीन कनेक्शन हेतु संविदा माँग, निर्माताओं की तकनीकी विशिष्टिकरणों के अनुसार प्रेरण भट्टी एवं उपकरणों की कुल क्षमता, पर आधारित होगा। विपत्रीकरण माँग माह के दौरान दर्ज की गई माँग अथवा संविदा माँग, दोनों में जो अधिक हो, पर आधारित होगा।

संविदा माँग को घटाने से सम्बन्धित टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं कम्पनी को ₹ 1.19 करोड़ के राजस्व की हानि का उल्लेख भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सा0क्षे0उ0 प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 4.1 में हुआ था। यथा प्रेक्षित, उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के अन्य मामलों की परिचर्चा निम्नतः की गई है:

वास्तविक भार के अनुसार संविदा माँग बढ़ाने में विफलता

एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स नील कमल स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पटना ने अपने परिसर में स्थापित मौजुदा भार 9000 किलो वोल्ट ऐम्पियर (के0भी0ए0[1]) से 12000

[1] 1 के0भी0ए0 = 1 किलो वाट (के0डब्ल्यू0) * 1.1111।

के0भी0ए0 बढ़ाने के लिए मार्च 2013 में आवेदन किया था। उल्लेखित विवरण के अनुसार, उपभोक्ता 9831 के0भी0ए0 (8849.5 के0डब्ल्यू0) का भार ले रहा था। उपभोक्ता का उपर्युक्त वर्णित भार तभी से विद्यमान था चूँकि उपभोक्ता 9000 के0भी0ए0 का भार जनवरी 2013 से ही ले रहा था। तद्नुसार टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता का विपत्रीकरण 9000 के0भी0ए0 के बदले 9831 के0भी0ए0 जनवरी 2013 से ही होना चाहिए था। आगे उपभोक्ता ने अपना सम्बद्ध भार जुलाई 2013 में 9000 के0भी0ए0 से 12000 के0भी0ए0 बढ़वा दिया। तथापि, भार विवरण के अनुसार उपभोक्ता का कुल भार उपकरणों सहित 13103 के0भी0ए0 (11794 के0 डब्ल्यू0) था। अतः उपभोक्ता का विपत्रीकरण इसी के अनुसार होना चाहिए था।

टैरिफ ऑर्डर के प्रावधानों के अनुसार एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता के संविदा माँग की वृद्धि में विफलता एवं संविदा माँग के अल्प–निर्धारण के फलस्वरूप कम्पनी को जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 की अवधि के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ की हानि हुई।

संविदा माँग का अल्प–निर्धारण

एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स दादीजी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पटना ने जुलाई 2012 में पुराने भट्ठी के स्थान पर नई भट्ठी लगााने हेतु अपने भार को 12051 के0भी0ए0 से बढ़कर 14701[2] के0भी0ए0 करने हेतु आवेदन किया। तथापि, भार स्वीकृति में भट्ठियाँ और सहायक भार का अल्प–निर्धारण हुआ था। चार भट्ठियों के संदर्भ में निर्माता[3] विशिष्टिकरण स्पष्ट तौर पर यह इंगित करती थी कि इन भट्ठियों के लिए आवश्यक कुल बिजली खपत 12776 के0भी0ए0 (11500 के0डब्ल्यू0) था। तथापि, उपर्युक्त भट्ठियों के संदर्भ में निर्माता विशिष्टिकरणों के विरुद्ध उपभोक्ता को केवल 11500 के0भी0ए0 का भार स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता ने अपने स्वघोषणा में 1334 के0भी0ए0 (1201 के0 डब्ल्यू0) का सहायक भार माना था। तथापि, उपभोक्ता को सहायक भार के संबंध में 1201 के0भी0ए0 भार की अनुमति दी गई थी। परिणामस्वरूप प्रेरण भट्ठियों, सहायक भार एवं रॉलिंग मिल के सम्बन्ध में 16110 के0भी0ए0 के कुल भार अर्थात् (12776 के0भी0ए0+1334 के0भी0ए0+2000 के0भी0ए0) के विरुद्ध कथित उपभोक्ता का भार केवल 14701 के0भी0ए0 जनवरी 2013 से स्वीकृत किया गया।

संविदा माँग के 1409 के0भी0ए0 से अल्प–निर्धारण के फलस्वरूप कम्पनी को जनवरी 2013 से नवम्बर 2014 की अवधि हेतु ₹ 2.27 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि दोनों उपभोक्ताओं से बढ़े हुए संविदा माँग के लिए नया अनुबंध करने का अनुरोध किया गया है।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को संविदा माँग के निर्धारण एवं विपत्रीकरण हेतु विद्यमान टैरिफ आदेश की कंडिका 7.4 के प्रावधानों का अनुपालन अक्षरशः करना चाहिए।

---

[2] 14701 के0भी0ए0 के भार में चार प्रेरण भट्ठियों का 11500 के0भी0ए0 भार, 1201 के0भी0ए0 का सहायक भार एवं रॉलिंग मिल हेतु 2000 के0भी0ए0 का भार सम्मिलित था।

[3] मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड।

बी0ई0आर0सी0 (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन मानकों) विनियमन, 2006 का अनुपालन

भार वृद्धि में विलम्ब

4.1.6 बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) (वितरण अनुज्ञप्तिधारी निष्पादन के मानकों) विनियमन, 2006 की कंडिका 17 (क), अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करती है कि संविदा माँग की वृद्धि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की प्राप्ति पर सात दिनों के अन्दर वैसी स्थिति में, जहाँ कोई विस्तार एवं वितरण नेटवर्क के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं, अनुज्ञप्तिधारी[4] उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण कर 20 दिनों के अन्दर भार वृद्धि की अनुमति प्रदान करेगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि भार वृद्धि हेतु दो उपभोक्ताओं[5] के मामलों में वितरण अनुज्ञप्तिधारी निष्पादन के मानकों, 2006 के द्वारा निर्धारित समयावधि का अनुपालन नहीं हुआ था एवं विलम्ब के दृष्टांत पाये गये जिसकी परिचर्चा निम्नतः की गई है :

- एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स नीलकमल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पटना ने 9000 के0भी0ए0 से 12000 के0भी0ए0 भार–वृद्धि के लिए आवेदन (05 मार्च 2013) किया। यद्यपि, बढ़े हुए भार की स्वीकृति की अनुशंसा 14 मार्च 2013 को ही की गई थी, तथापि कम्पनी ने बढ़े हुए भार की स्वीकृति में एक माह का विलम्ब किया। उपभोक्ता को बढ़े हुए भार पर आपूर्ति 6 जुलाई 2013 से आरम्भ हुई। भार वृद्धि में 36 दिनों की विलम्ब के कारण कम्पनी को डिमांड चार्ज के रूप में ₹ 25.20 लाख[6] के राजस्व की हानि हुई।

- एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स दादीजी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पटना ने 12051 के0भी0ए0 से 14701 के0भी0ए0 भार–वृद्धि के लिए आवेदन (जुलाई 2012) किया। उपभोक्ता के भार का प्रस्ताव तत्कालीन महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियन्ता को 3 अगस्त 2012 को भेजा गया। इसके पश्चात्, विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, फतुहाँ को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने के लिए पत्र लिखा गया तथा ठोस भार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अन्ततः, बढ़ा हुआ भार उपर्युक्त विनियमन के तहत् 27 दिनों की अनुमत्य समय सीमा के बाद 49 दिनों के विलम्ब से 10 अक्टूबर 2012 को स्वीकृत किया गया। हमने प्रेक्षित किया कि यदि भार वृद्धि हेतु आवश्यक कदम समय पर लिया गया होता तो 49 दिनों का विलम्ब परिहार्य था। भार–स्वीकृति के फलस्वरुप उपर्युक्त उपभोक्ता ने 26 नवम्बर 2012 को प्रतिभूति राशि जमा की तथा बढ़े हुए भार पर विद्युत आपूर्ति जनवरी 2013 से आरम्भ हुई। कथित उपभोक्ता के भार–वृद्धि में कम्पनी द्वारा विलम्ब के कारण कम्पनी को डिमांड चार्ज के मद में ₹ 30.30 लाख[7] के राजस्व की हानि हुई।

उपर्युक्त दोनों मामलों में कम्पनी के प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (बी0ई0एस0सी0, 2007) की प्रयोज्य प्रावधान में निर्धारित की गई अतिरिक्त प्रतिभूति जमा और अनुबंध के निष्पादन की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त भार वृद्धि में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, राजस्व

---

[4] अनुज्ञप्तिधारी का अर्थ एक कम्पनी या उर्जा की आपूर्ति हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त एक स्थानीय प्राधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति है जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में शामिल है।

[5] मेसर्स नीलकमल स्टील प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स दादीजी स्टील प्राइवेट लिमिटेड।

[6] डिमांड चार्ज हानि = 3000*36 / 30*700 = ₹ 25,20,000।

[7] डिमांड चार्ज हानि = 2650*49 / 30*700 = ₹ 30,29,833।

हानि के सम्बन्ध में प्रबन्धन ने कहा कि उपभोक्ता को विपत्र वास्तविक मीटर रिडिंग के आधार पर निर्गत किया गया था।

प्रबन्धन का जवाब मान्य नहीं है चूँकि भार स्वीकृति चरण में ही अत्यधिक विलम्ब था जो प्रतिभूति राशि जमा करने एवं अनुबन्ध करने की औपचारिकता पूर्ण कर लेने से पहले पूर्ण कर लेना चाहिए था। इसके अतिरिक्त टैरिफ प्रावधानों के अनुसार, डिमांड चार्ज का विपत्रीकरण डिमांड चार्ज या दर्ज किए गए अधिकतम डिमांड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाना था।

अनुशंसाः हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि नवीन सेवा सम्बद्ध मामलों में अनावश्यक विलम्ब को टालने हेतु कम्पनी को बी0ई0आर0सी0 (वितरण लाइसेंसधारी के निष्पादन मानकों) विनियमन, 2006 की कंडिका 17 (क) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

अल्प विपत्रीकरण एवं राजस्व का संग्रहण

अतिरिक्त प्रतिभूति जमा का अल्प निर्धारण एवं उपभोक्ता को अनुचित लाभ

4.1.7 बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (कोड) का उपवाक्य 7.15 (3), अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करता है कि उच्च विभव (एच0टी0)/अति उच्च विभव (ई0एच0टी0) उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि की समीक्षा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्द्धवार्षिक तौर पर पिछले छः महीने के बिजली खपत के आधार पर किया जाएगा। यदि औसत खपत हेतु प्रतिभूति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई प्रतिभूति से 20 प्रतिशत अधिक है तो उपभोक्ता को प्रयोज्य टैरिफ प्रावधानों के अनुरूप अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि जमा करनी होगी, अन्यथा, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि उपभोक्ता को वापस कर दी जाएगी।

एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स भोला राम स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि कथित प्रत्याभूति जमा की समीक्षा जून 2012 से मार्च 2013 की दस महीनों की अवधि में विद्युत खपत के आधार पर जुलाई 2013 में हुआ था। संशोधन के फलस्वरूप ₹ 36.22 लाख का अतिरिक्त प्रतिभूति जमा उपभोक्ता पर भारित किया गया। हमने प्रेक्षित किया कि अक्टूबर 2013 में पूर्व के छः महीनें के आधार पर (अर्द्ध–वार्षिक आधार पर) विपत्र विवरण के अनुसार ₹ 52.63 लाख राशि की अतिरिक्त प्रतिभूति कथित उपभोक्ता से वसूला जाना आवश्यक था। तथापि, कम्पनी ने बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 के उल्लंघन में कथित उपभोक्ता पर केवल ₹ 36.22 लाख भारित किया। परिणामस्वरूप ₹ 16.42 लाख अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की राशि का अल्प–निर्धारण हुआ एवं इतनी ही राशि का अनुचित लाभ कथित उपभोक्ता को मिला।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि कथित उपभोक्ता की प्रतिभूति जमा की समीक्षा जुलाई 2013 में की गई थी और तदनुसार उपभोक्ता से जून 2012 से मार्च 2013 के 10 माह के मासिक खपत के आधार पर ₹ 36.22 लाख की अतिरिक्त प्रतिभूति राशि अक्टूबर 2013 में प्राप्त की गई थी तथा जब इसकी समीक्षा अक्टूबर 2013 में हुई तो अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की आवश्यकता नहीं थी। जवाब मान्य नहीं है, चूँकि कोड के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के पूर्व के छः माह अर्थात् अर्द्धवार्षिक खपत के आधार पर अप्रैल/मई और अक्टूबर/नवम्बर में प्रतिभूति जमा की समीक्षा आवश्यक था।

अनुशंसाः हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के प्रतिभूति जमा की समीक्षा से सम्बन्धित बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 की उप–वाक्य 7.15 (3) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

औद्योगिक नीति के तहत् छूट की अनियमित अनुमति देना

4.1.8 उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत औद्योगिक नीति, 2006 की कंडिका 2 (xii) के अनुसार वर्तमान में कार्यरत इकाई एवं नई इकाई, नई औद्योगिक नीति की घोषणा तिथि से वार्षिक विद्युत खपत न्यूनतम गारंटी (ए0एम0जी0)/मासिक न्यूनतम गारंटी (एम0एम0जी0) शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त कर सकेगी। औद्योगिक नीति के तहत् उपर्युक्त छूट नई औद्योगिक नीति, 2011 द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए विस्तार किया गया। तथापि अगस्त 2008 में बोर्ड ने आदेश निर्गत किया कि वैसे उपभोक्ताओं को जो बिजली चोरी/मीटर छेड़छाड़ के दोषी पाये जाते हैं को औद्योगिक नीति के तहत् छूट प्राप्त नहीं होगा।

हमने प्रेक्षित किया कि :

तत्कालीन बोर्ड ने ई0एस0सी0, 2007 के उप–वाक्य 11.4 के अनुरूप जून 2008 में स्वैच्छिक मीटर छेड़छाड़ प्रकटीकरण योजना आरम्भ किया। उपर्युक्त योजना के तहत् छः[8] उपभोक्ताओं ने अपने मीटर में छेड़छाड़ होना घोषित (जून 2008) किया। तद्नुसार मीटर की छेड़छाड़ की अवधि हेतु उपर्युक्त कोड के उप–वाक्य 11.4 के तहत दाण्डिक विपत्र निर्गत किया गया। इसके अलावा यह पाया गया कि बोर्ड अनावश्यक मीटर के छेड़छाड़ के दृष्टांतों के बावजूद उन उपभोक्ताओं को मीटर की छेड़छाड़ की अवधि के लिए औद्योगिक नीति 2006 के तहत् जुलाई 2011 में ₹ 1.95 करोड़ के छूट का लाभ प्रदान किया गया (***परिशिष्ट–4.1***)। तथापि, बोर्ड के विद्यमान आदेश के अनुसार बिजली की चोरी/छेड़छाड़ करते पाए गए उपभोक्ता को औद्योगिक नीति, 2006 के तहत् किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन नहीं दिया जाना था।

एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, पटना को मीटर छेड़छाड़ के लिए 12 जनवरी 2008 से 28 फरवरी 2008 की अवधि हेतु ₹ 1.01 करोड़ का दण्डात्मक विपत्र दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर इस दण्डात्मक विपत्र की समीक्षा की गई जिसमें निर्धारित अधिकारी ने पूर्व में निर्धारित ₹ 1.01 करोड़ के दण्डात्मक विपत्र को बरकरार रखा (सितम्बर 2011)। तथापि, उपभोक्ता को मीटर छेड़छाड़ हेतु दाण्डिक विपत्र निर्गत करने के बावजूद तत्कालीन बोर्ड के आदेश के उल्लंघन में बिजली चोरी की अवधि (जनवरी 2008 से फरवरी 2008) के लिये अक्टूबर 2012 में ₹ 1.43 करोड़ के छूट का लाभ प्रदान किया गया।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुसार अनुपूरक बिल उपभोक्ता को निर्गत कर दिया गया है।

[8] मेसर्स दादीजी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पटना (दिदारगंज); मेसर्स पटवारी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पटना (राजेन्द्र नगर); मेसर्स बालमुकुन्द कॉनकास्ट लिमिटेड, पटना (एक्जिबिशन रोड); मेसर्स जे0जी0 फाउन्ड्री लिमिटेड, पटना (अगमकुआँ); मेसर्स दिना आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड, पटना (दिदारगंज); और मेसर्स गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, पटना (फुलवारीशरीफ)।

उर्जा विपत्र के मद में प्राप्य राजस्व को ''प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ'' मद में रखना

4.1.9 उपभोक्ताओं को निर्गत ऊर्जा विपत्र से सम्बन्धित राशियों और विद्युत विपत्रों की शुद्धता एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित कम्पनी एवं उपभोक्ताओं के मध्य विवाद की स्थिति में कम्पनी, मुद्दों/विवाद के निराकरण तक, विपत्र से सम्बन्धित राशि को ''प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ'' मद में रखती है।

हमने प्रेक्षित किया कि एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स दिना मेटल्स लिमिटेड, पटना के परिसर का अप्रैल 2008 में बोर्ड के अधिकारियों के साथ सर्तकता टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में, उपभोक्ता के मीटर से छेड़छाड़ पाई गई और तद्नुसार विद्युत चोरी हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ0आई0आर0) दर्ज की गई और ₹ 3.56 करोड़ का दण्डात्मक विपत्र जारी किया गया। उपभोक्ता ने विरोध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर किया जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि उपभोक्ता के मीटर को उपभोक्ता की इच्छा के अनुरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में यह पहचान करने के लिए कराया जाय कि मीटर यांत्रिक रूप से खराब है अथवा मीटर से छेड़छाड़ हुई है एवं तत्पश्चात निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में उचित कदम उठाया जाए एवं उपभोक्ता को औपबंधिक विपत्र निर्गत करने की स्थिति में, कथित उपभोक्ता, विपत्र राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा और इसके उपरान्त ही यदि कोई आपत्ति हो तो, वह अपनी आपत्ति दर्ज करेगा (जनवरी 2011)।

हमने प्रेक्षित किया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी कम्पनी, मीटर की जाँच कराने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.56 करोड़ की राशि तीन वर्षों से अधिक की अवधि हेतु अवरुद्ध रही। कम्पनी दण्डात्मक विपत्र की वसूली में आज तक (अक्टूबर 2014) विफल रही और यह राशि ''प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ'' मद में बेकार पड़ा रहा।

प्रबन्धन ने तथ्य एवं आँकड़ों को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन हेतु कानून के अनुरूप उचित कदम शीघ्र ही उठाये जायेंगे।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करे जिससे इनका प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ होने की स्थिति से बचा जा सके तथा उसकी वसूली में अवांछित विलम्ब को टाला जा सके।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2014); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

निष्कर्ष

- **कम्पनी निर्माता के अनुसार प्रेरण भट्टी एवं उपकरणों की कुल क्षमता के आधार पर दो एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के संविदा माँग की वृद्धि करने एवं तद्नुसार विपत्र करने में विफल रहा। इसके फलस्वरूप संविदा माँग का अल्प–निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।**

- **कम्पनी 27 दिनों की निर्धारित समय सीमा में दो एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के संविदा माँग की वृद्धि में विफल रहा जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 55.50 लाख राजस्व की हानि उठानी पड़ी।**
- **कम्पनी तीन वर्षों से अधिक समय के व्यतीत होने के बावजूद एवं उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में उपभोक्ता का मीटर उसकी इच्छा के अनुरूप प्रयोगशाला में जाँच कराने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप विवादित विद्युत विपत्रों के मद में ₹ 3.56 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध पड़ा रहा।**

4.2 राजस्व की हानि

रेलवे कर्षण सेवा (आर0टी0एस0) उपभोक्ता की संविदा माँग में अत्यधिक विलम्ब से वृद्धि के कारण ₹ 5.14 करोड़ के राजस्व का वसूली नहीं होना।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश, 2006–07[9], अन्य बातों के साथ, यह भी निर्दिष्ट करता है कि उच्च विभव (एच0टी0) उपभोक्ताओं की ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनकी संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त टैरिफ आदेश यह भी प्रावधान करता है कि यदि कोई उपभोक्ता अपनी संविदा माँग के अनुरूप अनुमत्य क्षमता से अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग करते पाया जाता है तो यह मामला कदाचार के अन्तर्गत आएगा। बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश, 2010–11[10], ने रेलवे की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रेलवे कर्षण सेवा (आर0टी0एस0) उपभोक्ता को ट्रान्सफॉर्मर क्षमता, संविदा माँग के 200 प्रतिशत तक, रखने की अनुमति प्रदान किया।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड {सम्प्रति साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड[11] (कम्पनी)} के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ किः

- लखीसराय का एक आर0टी0एस0 उपभोक्ता, जिसकी संविदा माँग 9.5 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) थी, उपरोक्त टैरिफ आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21.6 एम0भी0ए0 की क्षमता वाले दो ट्रान्सफॉर्मरों का उपयोग कर रहा था।
- कथित उपभोक्ता की संविदा माँग, उपरोक्त टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार, नवम्बर 2006 से नवम्बर 2010 की अवधि हेतु 14.40 एम0भी0ए0[12] तथा दिसम्बर 2010 से मई 2013 की अवधि हेतु 10.80 एम0भी0ए0[13] गणना की गयी जिससे टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो और तद्नुसार कथित आर0टी0एस0 उपभोक्ता का विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था।
- टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी कथित उपभोक्ता की संविदा माँग की ससमय वृद्धि में विफल रहा। कम्पनी ने जून 2013 में ही कथित उपभोक्ता की संविदा माँग को बढ़ाकर 10.80 एम0भी0ए0 कर दिया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने एवं कथित उपभोक्ता की संविदा–माँग की वृद्धि में अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरूप नवम्बर 2006

---

[9] नवम्बर 2006 से प्रभावी।
[10] दिसम्बर 2010 से प्रभावी।
[11] बी0एस0ई0बी0 के पुनर्गठन के बाद, लखीसराय के आर0टी0एस0 उपभोक्ता का विपत्रीकरण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
[12] 21.6 एम0भी0ए0 / 150 प्रतिशत = 14.40 एम0भी0ए0।
[13] 21.6 एम0भी0ए0 / 200 प्रतिशत = 10.80 एम0भी0ए0।

से मई 2013 की अवधि हेतु माँग शुल्क और उर्जा विपत्र के मद में ₹ 5.14 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

प्रबंधन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि नवम्बर 2006 से मई 2013 की अवधि हेतु अप्राप्त राजस्व का विपत्रीकरण प्रक्रियाधीन है। तथापि, तथ्य यही है कि कथित अवधि का राजस्व अभी भी वसूल किया जाना है (नवम्बर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

4.3 दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण

कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश एवं विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप एक एच0टी0एस0 उपभोक्ता के दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण : ₹ 43.03 लाख।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) ने टैरिफ आदेश, 2011–12 (01 मई 2011 से प्रभावी) द्वारा प्रावधानित किया कि उच्च विभव सेवाएँ (एच0टी0एस0) उपभोक्ताओं की ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनकी संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और यदि कोई उपभोक्ता अपनी संविदा माँग के अनुरूप अनुमत्य क्षमता से अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग करते पाया जाता है तो यह मामला कदाचार के अन्तर्गत आएगा। साथ ही बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (कोड), 2010 में यथा संशोधित, के अनुसार अनाधिकृत प्रयोग/बिजली की चोरी की स्थिति में सूत्रानुसार[14] विद्युत शुल्क की गणना की जाएगी, जिसमें एच0टी00एस0 उपभोक्ता के लिए सम्बद्ध भार किलोवाट (कि0वा0) में होगाः

- संविदा माँग, अथवा
- निरीक्षण/छापे के दौरान पाया गया वास्तविक माँग के0भी0ए0 में, अथवा
- अनुमत्य ट्रान्सफॉर्मर क्षमता का अस्सी *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो * 0.90 (पी0एफ0[15])।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी)[16] की विद्युत आपूर्ति अंचल, मुंगेर के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) में उद्घाटित हुआ कि मंडल विद्युत अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर (उपभोक्ता सं0–एलएस–58), 267 किलो वोल्ट एम्पीयर (के0भी0ए0) की संविदा माँग वाला एक एच0टी0एस0–1 उपभोक्ता, के परिसर का संयुक्त निरीक्षण कम्पनी अधिकारियों द्वारा 16.11.2011 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण में, कथित उपभोक्ता 400 के0भी0ए0 क्षमता के अनुमत्य ट्रान्सफॉर्मर क्षमता के विरुद्ध 880 के0भी0ए0 क्षमता का ट्रान्सफॉर्मर, प्रयोग करता हुआ पाया गया। तद्नुसार, कम्पनी (तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा उपभोक्ता को विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग के लिए दाण्डिक शुल्क के रूप में ₹ 1.37 करोड़ का औपबंधिक विपत्र निर्गत

---

[14] यू = एल*एफ*डी*एच, जहाँ यू = उर्जा की मात्रा इकाई में निर्धारित, एल = सम्बद्ध भार के0डब्ल्यू0 में जोकि निरीक्षण/छापे के समय स्थल पर पायी गयी, एफ = लोड फैक्टर लागू सेवा की श्रेणी के अनुसार, डी = दिनों की संख्या जिसमें विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा था। यदि दिनों का निर्धारण संभव न हो तो यह अवधि 12 महीने तक सीमित होगी यानि 365 दिन एवं एच = प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के औसत घंटो की संख्या।

[15] पी0एफ0 का आशय उर्जा क्षमता से है और यह लोड को वास्तविक प्रवाहित उर्जा और परिपथ में उपलब्ध वास्तविक उर्जा का अनुपात है।

[16] तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड।

(फरवरी 2011) किया जिसे उपभोक्ता को निर्गत अंतिम निर्धारण आदेश में बरकरार रखा गया (अप्रैल 2011)।

हमने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने टैरिफ आदेश के प्रावधानों और कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 587 के0भी0ए0[17] के प्रभार्य संविदा माँग के विरुद्ध 469.3 के0भी0ए0[18] की संविदा माँग के आधार पर दण्डात्मक शुल्क की गणना की। इसके फलस्वरूप दण्डात्मक शुल्क का ₹ 43.03[19] लाख से अल्प–निर्धारण हुआ।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2014) कि उपभोक्ता को ₹ 1.77 करोड़ का दण्डात्मक विपत्र दिया गया है। जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि उपभोक्ता को मात्र ₹ 1.37 करोड़ का दाण्डिक विपत्र दिया गया है जिसका उल्लेख कंडिका में पहले ही किया जा चुका है। अन्य दोनों राशियाँ वस्तुतः ₹ 29.67 लाख और ₹ 10.94 लाख कम्पनी द्वारा वसूलनीय बकाया विपत्र और विलम्बित भुगतान सरचार्ज से संबंधित है और यह दण्डात्मक विपत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। इस प्रकार ₹ 43.03 लाख का दण्डात्मक शुल्क अभी भी अल्प–निर्धारित है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश एवं बिजली आपूर्ति कोड, 2007 के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप कथित एच0टी0एस0 उपभोक्ता हेतु दाण्डिक शुल्क का ₹ 43.03 लाख से अल्प–निर्धारण हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

4.4 दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण

कम्पनी द्वारा विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 35.63 लाख से दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण एवं एच0टी0एस0 उपभोक्ता को अनुचित लाभ का विस्तार।

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 135 (1)(क) प्रावधान करती है कि, जो कोई भी बेईमानी से ऊपरी, भूमिगत या पानी के भीतर की लाइनों अथवा केबल, या सेवा के तार, या एक लाइसेंसधारी[20] अथवा आपूर्तिकर्ता की सेवा व्यवस्था से टेप, या किसी अन्य प्रकार से विद्युत सम्बन्धन द्वारा विद्युत के निष्कर्षण या उपभोग या प्रयोग करता है तो यह दण्डनीय होगा जिसके लिए तीन साल तक की कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों हो सकता है। साथ ही, अन्य बातों के साथ, बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (बि0ई0एस0सी0), 2010 में यथा संशोधित, की उप–वाक्य 11.1 (ख) (i) तथा 11.2.3 (ख) (i) के अनुसार अनधिकृत प्रयोग/बिजली की चोरी की स्थिति में विद्युत शुल्क की गणना सूत्र यू= एल*एफ*डी*एच[21] के अनुसार की जाएगी। इसके

[17] 587 के0भी0ए0 = 880 के0भी0ए0 * 2/3 ।

[18] 469.3 के0भी0ए0 = 880 के0भी0ए0 * 2/3 * 80 *प्रतिशत*।

[19] अर्थात टैरिफ आदेश और कोड के अनुसार प्रभार्य दाण्डिक शुल्क–विपत्रीकृत राशि = ₹ 179.88 लाख – ₹ 136.85 लाख = ₹ 43.03 लाख।

[20] लाइसेंसधारी का आशय भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति के लिए लाइसेंस प्राप्त कोई भी व्यक्ति जिसमें कम्पनी एवं स्थानीय प्राधिकरण शामिल है।

[21] यू = उर्जा की मात्रा इकाई में निर्धारित,
एल = सम्बद्ध भार के0डब्ल्यू0 में जो कि निरीक्षण/छापे के समय स्थल पर पायी गयी,
एफ = प्रभार्य सेवा की श्रेणी के अनुसार लोड फैक्टर,
डी = दिनों की संख्या जिसमें विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा था, एवं
एच = प्रतिदिन उपलब्ध कराये गये विद्युत आपूर्ति के औसत घंटों की संख्या।

अतिरिक्त, आपूर्ति कोड यह भी प्रावधान करती है कि बिजली की चोरी की स्थिति में, विद्युत शुल्क की गणना में लोड फैक्टर 1 (100%) के बराबर लिया जाएगा, जैसा कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 135 (1) (क) में परिभाषित है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर, के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) से उद्घाटित हुआ कि :

- कम्पनी द्वारा मेसर्स राज आटा चक्की, जो एक उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0) उपभोक्ता है, के परिसर का 20 दिसम्बर 2012 को निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि एच0टी0एस0 उपभोक्ता बेईमानी से 11 किलो वोल्ट ओवरहेड लाइन में टैपिंग कर बिजली का लाभ उठा रहा था, जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 135 (1)(क) के तहत यथा परिभाषित चोरी, के दायरे में आता है।

- कम्पनी द्वारा औपबंधिक निर्धारण आदेश में उपभोक्ता पर ₹ 49.28 लाख का दाण्डिक शुल्क लगाया गया (दिसम्बर 2012) जिसे जनवरी 2013 में निर्गत अंतिम निर्धारण आदेश में भी बरकरार रखा गया।

- कम्पनी द्वारा उपर्युक्त वर्णित सूत्रानुसार दाण्डिक शुल्क के निर्धारण के लिए लोड फैक्टर अर्थात् एफ, अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट 1 के विरूद्ध, 0.75 माना गया।

- इस प्रकार प्रभार्य दण्डात्मक शुल्क के रूप में ₹ 84.91 लाख की गणना होती है। तथापि, उल्लेखित उपभोक्ता पर ₹ 49.28 लाख की राशि ही दण्ड के रूप में भारित किया गया था। इसके कारण उपभोक्ता को ₹ 35.63 लाख[22] के अनुचित लाभ का विस्तार मिला।

  प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि ₹ 35.63 लाख की आपत्तिजनक राशि उपभोक्ता के अगस्त 2014 महीने के विपत्र में भारित कर दिया गया है। तथापि तथ्य यही है कि कथित राशि की वसूली आज की तिथि (अक्टूबर 2014) तक होनी शेष है।

  अतः कम्पनी द्वारा विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 के प्रावधानों के अनुपालन न केवल दण्डात्मक शुल्क के अल्प–निर्धारण में परिणत हुआ बल्कि इससे उपभोक्ता को ₹ 35.63 लाख का अनुचित लाभ विस्तार भी हुआ।

  मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

4.5 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

निविदा के निष्पादन में अनियमितता के फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ मूल्य के निम्न गुणवत्ता वाले पॉली कारबोनेट सील बिट की अधिप्राप्ति एवं कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ का विस्तार मिला।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी0ई0ए0) (स्थापना एवं मीटर का परिचालन) नियमन, 2006 का उप–वाक्य 12, अन्य बातों के साथ, उल्लेख करता है कि केवल पेटेंट सीलों (सील जिसके निर्माण के लिए निर्माता के पास सरकारी अधिकार है) का इस्तेमाल उर्जा मीटरों को सील करने हेतु किया जाएगा। तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

[22] ₹ 84.91 लाख– ₹ 49.28 लाख = ₹ 35.63 लाख।

(बि0एस0ई0बी0) [सम्प्रति, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी)] ने 20 लाख पेटेंट पॉली कार्बोनेट पारदर्शी सील बिट के साथ उर्जा मीटर सील के लिए उपयुक्त स्टेनलेस स्टील तारों मुहर और सील कोड नम्बर सहित कोडित मोनोग्राम सीरियल नम्बर की आपूर्ति के लिए मुहरबंद निविदा निविदा–सूचना (एनआईटी[23]) (दिसम्बर 2011) द्वारा आमंत्रित की । कथित एन0आई0टी0 की तकनीकी विशिष्टताओं की कंडिका 2.2 उल्लेख करता है कि निर्माता के पास अनिवार्यतः सील निर्माण के लिए पेटेंट अधिकार होगा और अपनी निविदा के साथ इस समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, एन0आई0टी0 की सामान्य शर्तों की उप–वाक्य 12 निर्दिष्ट करता है कि निर्मित पेटेंट सील बिट का नमूना, बोलीदाता की लागत पर, परीक्षण[24] हेतु नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरी (एन0ए0बी0एल0) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और इस संदर्भ में निर्गत परीक्षण प्रतिवेदन भी बोलियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

कम्पनी की भण्डार एवं क्रय शाखा के अभिलेखों (नवम्बर 2013) की जाँच से उद्घाटित हुआ कि :

- उपर्युक्त वर्णित एन0आई0टी0 के विरुद्ध चार बोलीदाताओं[25] (जनवरी 2012) ने अपनी बोली प्रस्तुत की। जनवरी 2012 में निविदा का तकनीकी भाग खोला गया था। तथापि, उनमें से कोई भी बोलीदाता पेटेंट पॉली कार्बोनेट सील बिट की क्रय हेतु उपयुक्त और स्वीकार्य नहीं पाया गया था क्योंकि उनमें से किसी के भी पास सील बिट के निर्माण के लिए एक वैध पेटेंट नहीं था। तथापि, तकनीकी समिति[26] ने सभी बोलीदाताओं से उनके वैध पेटेंट अधिकार के समर्थन में अग्रेतर स्पष्टीकरण/आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध (फरवरी 2012) किया ।

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों की जाँच के उपरान्त, कम्पनी ने, मेसर्स सिक्योर सील्स इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) को एक वैध पेटेंट धारक मानते हुए 20 लाख पेटेंट पॉली कार्बोनेट सील बिट की आपूर्ति हेतु ₹ 6.49 प्रति स्थलीय की दर पर ₹ 1.28 करोड़ का एक क्रयादेश दिया (अप्रैल 2012)।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि :

- आपूर्तिकर्ता के पास पॉली कार्बोनेट सील निर्माण करने हेतु पेटेंट का अधिकार नहीं था और उसने मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स (इंडिया), आईएनसी के साथ मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स, न्यू जर्सी, अमेरिका की नियमों और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सील और सील उपकरणों के निर्माण और विपणन के लिए एक संयुक्त उद्यम अनुबन्ध किया था (अक्टूबर 2003)।

- कम्पनी अप्रैल 2012 में क्रय आदेश जारी करने से पहले आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत पेटेंट दस्तावेज/असाइनमेंट/संयुक्त उद्यम अनुबन्ध की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने में विफल रहा जो उपर्युक्त वर्णित एन0आई0टी0 की शर्तो के अनुसार, निर्माता के साथ–साथ उत्पाद के चयन हेतु आवश्यक और निर्णायक था।

---

[23] एन0आई0टी0 सं0: 206/पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2011 दिनांक 30 दिसम्बर 2011।

[24] आधार पॉलीमर की पहचान, खौलते पानी में परीक्षण, सील वायर टेस्ट, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण परीक्षण, रसायनिक परीक्षण, ताप प्रतिरोध परीक्षण प्रतिवेदन, गलनांक बिन्दु, परा बैंगनी प्रतिरोध परीक्षण।

[25] मेसर्स सैफकॉन सील्स प्राईवेट लिमिटेड (कोलकाता), मेसर्स सिक्योर सील्स इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड (मुम्बई), मेसर्स मनोज सील्स एण्ड लॉक्स, महाराष्ट्र, तथा मेसर्स पावर सेंटर, पटना।

[26] विद्युत अधीक्षण अभियंता (क्रय), विद्युत अधीक्षण अभियंता (एस एण्ड आई) एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता (क्रय) सम्मिलित।

- पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक ने कम्पनी को सूचित किया था (मई 2012) कि आपूर्तिकर्ता के पास पॉली कार्बोनेट सील निर्माण हेतु एक पेटेंट का अधिकार नहीं था। इसके अलावा, मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स कम्पनी (प्रदाता) और मेसर्स सिक्योर सील्स इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड के बीच कोई असाइनमेंट/लाइसेंस अनुबन्ध पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार के पास पंजीकरण हेतु दायर नहीं किया गया था। इसके बावजूद कम्पनी आपूर्तिकर्ता के साथ संविदा रद्द करने में विफल रहा और आपूर्ति की प्राप्ति को बहाल रखा।

- कम्पनी, ने क्रयादेश के उल्लंघन में, आपूर्ति की गई सील बिट की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में विफल रहा क्योंकि दो लाख सील बिट के पहले खेप का रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा प्रेषण पूर्व परीक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, छः लाख सील बिट के दूसरे खेप का अल्ट्रा वायलेट प्रतिरोध (यू0वी0) परीक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 लाख सील बिट की तीसरी खेप यू0वी0 परीक्षण में विफल रहा है।

  यह न केवल निविदाओं को अंतिम रूप देने में बल्कि क्रय किये गये सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का द्योतक था। इसके फलस्वरूप, कम्पनी आपूर्तिकर्ता से निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त किया जिसके कारण, आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.28 करोड़ के अनुचित लाभ का विस्तार हुआ।

  प्रबंधन ने जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि आपूर्तिकर्ता ने सील बिट के निर्माण के लिए पेटेंट अधिकार, जो मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स (पेटेंट धारक) द्वारा दिया गया था, के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। बोर्ड के हित में गैर सेवा कनेक्शन देने और अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत करने में विलम्ब से बचने के लिए बोर्ड अधिकारियों द्वारा दो लाख सील बिट का परीक्षण किया गया था। प्रबंधन ने आगे कहा कि यू0वी0 परीक्षण विद्युत अनुसंधान एवं विकास संगठन (इरडा) द्वारा किया गया था और संतोषजनक पाया गया था।

  प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 69 (1), अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान करती है कि असाइनमेंट, विस्तार और पेटेंट के निरस्तीकरण की अधिसूचना पंजीकृत होना चाहिए जबकि पेटेंट एवं डिजाइन के सहायक नियंत्रक ने सूचित किया था (मई 2012) कि मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स कम्पनी और मेसर्स सिक्योर सील्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच कथित पेटेंट का कोई असाइनमेंट/लाइसेंस अनुबन्ध पंजीकरण हेतु दायर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो लाख सील बिट के संबंध में सील बिट् राइट्स द्वारा आवश्यक 8 परीक्षण के स्थान पर गर्म पानी में परीक्षण किया गया। यू0वी0 परीक्षण के संबंध में, यह सील बिट के क्रमांक 1200001–1200010 के संबंध में इरडा रिर्पोट (अगस्त 2012) में विफल रहा है।

  इस प्रकार, निविदा के निष्पादन में अनियमितता के फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के निम्न गुणवत्ता वाली सील बिट की अधिप्राप्ति हुई और परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ का विस्तार मिला।

  मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

4.6 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

त्रुटिपूर्ण क्रय नियोजन एवं कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण न केवल आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला बल्कि ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय में भी परिणत हुआ।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी0एस0ई0बी0) [सम्प्रति, बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी)], निर्गत की गई निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) की सामान्य शर्तें, अन्य बातों के साथ, यह निर्दिष्ट करती थी कि यदि किसी निविदाकार को एक आदेश दिया जाता है तो निविदाकार को आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 30 फीसदी की आपूर्ति उन्हीं, नियम एवं शर्तो पर करनी होगी, यदि बोर्ड/कम्पनी द्वारा विस्तारित आदेश निविदाकार स्वीकृति/आदेश की तिथि से बारह महीनों के अन्तर्गत दिया जाता है।

कम्पनी के अभिलेखों की जाँच से उद्घाटित हुआ किः–

- कम्पनी ने 3500 किलोमीटर (कि0मी0) एल्यूमिनियम कंडक्टर इस्पात प्रबलित (ए0सी0एस0आर0) रैबिट कंडक्टर, 4000 किलोमीटर ए0सी0एस0आर0 वीसल कंडक्टर एवं 1000 किलोमीटर ए0सी0एस0आर0 डॉग कंडक्टर की क्रय हेतु तीन एन0आई0टी0[27] आमंत्रित की (जनवरी 2012)। इन एन0आई0टी0 के विरुद्ध, बोर्ड ने मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज (आपूर्तिकर्ता) को उपर्युक्त वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु क्रमशः प्रति कि0मी0 ₹ 30,671.98, ₹ 17,498.95 और ₹ 60,556.81 की दर पर तीन क्रय आदेश[28] दिया (जून 2012 से सितम्बर 2012)।

- कम्पनी ने पुनः 6000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 रैबिट कंडक्टर, 4000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 वीसल कंडक्टर तथा 2000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 डॉग कंडक्टर की क्रय हेतु तीन एन0आई0टी0[29] आमंत्रित की (नवम्बर 2012) जो कि पिछले क्रय आदेश के आधार पर दुबारा क्रय आदेश/विस्तारण आदेश देने की समय सीमा के अन्तर्गत था। इन एन0आई0टी0 के विरुद्ध क्रय आदेश अप्रैल 2013 में दिया गया था। इसके विरुद्ध बोर्ड ने उसी आपूर्तिकर्ता को 6000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 रैबिट कंडक्टर, 4000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 वीसल कंडक्टर और 2000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 डॉग कंडक्टर की क्रय हेतु क्रमशः प्रति कि0मी0 ₹ 35,775.42, ₹ 20,712.27 और ₹ 69,464.15 की दर पर क्रय आदेश अप्रैल 2013 में दिया।

हमलोगों ने अग्रेतर प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी उपर्युक्त वर्णित एन0आई0टी0 के सामान्य नियम और शर्तो के अनुपालन में विफल रहा।

- कम्पनी ने जब पाया कि नई निविदा में दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो पिछले क्रय आदेश के आधार पर विस्तार आदेश का सहारा दुबारा क्रय आदेश देने में लिया जाना चाहिए था अैर नए एन0आई0टी0 के तहत् इस क्रय हेतु सामग्रियों की मात्रा का 30 प्रतिशत क्रय किया जाना चाहिए था। तथापि, कम्पनी ने उपरोक्त सामग्रियों की क्रय

---

[27] एन0आई0टी0संख्या–01/पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2012,02/पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2012 एवं 03/ पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2012।

[28] क्रय आदेश सं0– 40 दिनांक 03.09.2012, क्रय आदेश सं0– 36 दिनांक 20.07.2012 एवं क्रय आदेश सं0– 29 दिनांक 26.06.2012।

[29] एन0आई0टी0 सं0–145/पी0आर0/बी0एस0पी0एस0सी0एल0/2012, 146/पी0आर0/बी0एस0पी0एस0सी0एल0/2012 और 147/ पी0आर0 /बी0एस0पी0एस0सी0एल0/2012।

हेतु उसी आपूर्तिकर्ता को अप्रैल 2013 में तीन नये क्रय आदेश प्रति कि0मी0 ₹ 35,775.42, ₹ 20,712.27 और ₹ 69,464.15 की स्थलीय दर पर दिया।

- उपर्युक्त वर्णित नई निविदा की 30 प्रतिशत मात्रा का क्रय एवं दुबारा क्रय आदेश/विस्तारन आदेश के प्रावधान के उल्लंघन के फलस्वरूप न केवल उपभोक्ता को अनुचित लाभ मिला बल्कि ₹ 1.19 करोड़ (***परिशिष्ट–4.2*** के अनुसार) के अत्यधिक व्यय में परिणत हुआ जो परिहार्य था।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण क्रय नियोजन एवं कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण न केवल आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला बल्कि यह ₹ 1.19 करोड़ के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में भी परिणत हुआ।

कम्पनी ने जवाब (सितम्बर 2014) दिया कि पुराने एन0आई0टी0 के अन्तर्गत माल की तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता नहीं थी एवं नई एन0आई0टी0 भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता पुराने एन0आई0टी0 के तहत् विस्तारित क्रयादेश के लिए रुचि नहीं प्रकट कर रहा था और यदि उससे सहमति प्राप्त किए बिना सामग्रियों की आपूर्ति हेतु विस्तारित आदेश आपूर्तिकर्ता को दिया गया होता, तो उपर्युक्त वर्णित सामग्री की आपूर्ति असंभव हो जाता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि आपूर्तिकर्ता, निविदाकार द्वारा स्वीकृति/आदेश की तिथि से बारह महीनों के अर्न्तगत दुबारा क्रय आदेश देने की स्थिति में सामग्रियों की आपूर्ति हेतु बाध्य था। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता से दुबारा क्रय आदेश पर सहमति प्राप्त किए बिना यह मान लिया कि आपूर्तिकर्ता दुबारा क्रय आदेश को स्वीकार नहीं करेगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जनवरी 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित (नवम्बर 2014) था।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

4.7 परामर्शी को अनुचित पक्ष

त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं मास्टर सेवा अनुबन्ध (एम0एस0ए0) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता परामर्शी को ₹ 3.56 करोड़ के अनियमित भुगतान में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, परामर्शी को अनुचित लाभ का विस्तार फलित हुआ।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), बिहार सरकार द्वारा स्थापित (2009) की गयी, एक कम्पनी है जो बिहार राज्य में शहरी आधारभूत परियोजनाओं जैसे भवनों, सड़कों, पार्को, राजमार्गों, सड़क, पीने का पानी, स्वच्छता, सीवरेज प्रणाली इत्यादि के निर्माण एवं उसमें तेजी लाने का कार्य करती हैं। कम्पनी द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं (***परिशिष्ट–4.3***) के लिए एकीकृत योजना प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने हेतु बाधा–क्रिटिकल चेन परियोजना प्रबंधन सिद्धांत (टी0ओ0सी0–सी0सी0पी0एम0[30]) के अंतर्गत परामर्शी की सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से एक खुली निविदा आमंत्रित किया (जनवरी 2012)। दो फर्मों[31] ने निविदा में

[30] टी0ओ0सी0– सी0सी0पी0एम0 विचारों, सिद्धांतों एवं उपकरणों का एक समूह है जो कि डा0 इलियास गोल्डरॉट द्वारा बनाया गया जिसमें समय प्रबंधन, बफर और कार्यो को प्रणालीबद्ध तरीके से बाधाओं को परिभाषित कर दूर करने की एक परियोजना योजना के तहत् करने की प्राथमिकता तय करना है।

[31] (i) मेसर्स वेक्टर मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, थाने और (ii) मेसर्स रिअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, पुणे।

भाग लिया और निविदाकर्ताओं[32] द्वारा प्रस्तुत तकनीकी और वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के आधार पर, मेसर्स रिअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उद्धृत दर सबसे निम्न यानी एल0 1 दर पाया गया। कम्पनी द्वारा परामर्शी को एक स्वीकृति पत्र (एल0ओ0ए0) निर्गत किया गया (मार्च 2012)। एल0ओ0ए0 में निर्धारित शर्तों के अनुसार, एल0ओ0ए0 जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर परामर्शी द्वारा अनुबन्ध किया जाना था, परियोजना पर कर्मियों को तत्काल तैनात किया जाना था तथा प्रत्येक परियोजना हेतु परियोजना लागत का 0.25 प्रतिशत की दर से बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा किया जाना था। 15 परियोजनाओं, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 1201.57 करोड़ थी के सम्बन्ध में कम्पनी और परामर्शी के मध्य मास्टर सेवा अनुबन्ध (एम0एस0ए0) के रूप में एक अनुबन्ध किया गया (16 जुलाई 2012)। एम0एस0ए0, में अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करता था कि: (i) अनुबन्ध एम0एस0ए0 के पक्षकारों को समय–समय पर अलग–अलग कार्य आदेश निर्गत किये जायेंगे, (ii) परामर्शी प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना लागत का 0.25 प्रतिशत की दर से बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा करेगा, और (iii) योजना के सफलपूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु परामर्शी को योजना, परियोजना/कार्यक्रम के विकास, योजना परियोजनाओं/योजना का अनुश्रवण तथा चयनित संवेदकों का आवश्यक परीक्षण एवं दिशा–निर्देश प्रदान करना था और (iv) अनुसूची डी के प्रावधानों के अनुसार ₹ 16.55 लाख एवं सेवा कर का मासिक भुगतान परामर्शी को उनकी सेवाओं हेतु करना था। इसके अतिरिक्त, एम0एस0ए0 की अनुसूची डी, अन्य बातों के साथ यह प्रावधानित करती है कि परामर्शी कम्पनी में तैनात किये जा रहे कर्मियों का जीवनवृत्त, फोटो और विवरण प्रदान करेगा।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि:

- एम0एस0ए0 ने स्पष्ट तौर पर परामर्शी की भूमिका दायित्वों एवं जिम्मेवारियों को परिभाषित नहीं किया था और सभी स्वभाविक रूप से व्यापक था।
- परामर्शी ने न तो आवश्यक निष्पादन प्रतिभूति के रूप में शर्त रहित बैंक गारंटी जमा किया और न ही स्थल पर परियोजनावार या कॉरपोरेट कार्यालय में तैनात किये गए अभियन्ताओं और/या कर्मियों की सूची कम्पनी को समर्पित की।
- कम्पनी ने एल0ओ0ए0 के निर्गत होने के एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत परामर्शी को तत्काल बैंक गारंटी जमा करने एवं परियोजनाओं पर कर्मियों की तैनाती के लिए व्यवस्था करने के लिए अनुरोध (अप्रैल 2013) किया। कम्पनी के अनुरोध के प्रत्युत्तर में परमर्शी ने ₹ तीन करोड़ मूल्य के 15 सशर्त[33] बैंक गारंटी और अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में तैनात कर्मियों की सूची, कम्पनी के महाप्रबन्धक (तकनीकी) से इस अवधि के दौरान कम्पनी में इस वर्णित सूची में उल्लेखित कर्मियों की तैनाती की पुष्टि करने के अनुरोध के साथ, सौंपी (मई 2013)।
- कम्पनी के महाप्रबन्धक (तकनीकी) ने सभी परियोजना निदेशकों को परामर्शी के साथ कार्यादेश पूर्ण करने का निर्देश (जून 2013) दिया और तद्नुसार एम0एस0ए0 पर हस्ताक्षर होने की तिथि से दस महीने व्ययीत हो जाने के उपरांत अर्थात् जुलाई 2012 में कार्यादेश निर्गत किया गया।

---

[32] मेसर्स रिअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ₹ 16.55 लाख/महीना एवं सेवा कर और मेसर्स वेक्टर मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ₹ 49.00 लाख/महीना एवं सेवा कर।

[33] इस शर्त के तहत् कि कम्पनी एम0एस0ए0 के तहत् ₹ 2.50 करोड़ की राशि परामर्शी के खाते में 104 दिनों के भीतर जमा करेगी जिसमें विफल रहने पर बैंक गारण्टी रद्द मानी जाएगी।

- परामर्शी द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी, कम्पनी द्वारा परामर्शी के खाते में 31 अगस्त 2013 तक ₹ 2.50 करोड़ जमा नहीं करने के कारण बैंक द्वारा सितम्बर 2013 में रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि के दौरान तैनात कर्मियों की सूची, न तो कम्पनी के महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा और न ही कम्पनी के परियोजना निदेशक एवं कम्पनी के प्रबंधक, वित्त द्वारा पुष्टि की गई। अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2013 की अवधि हेतु कम्पनी के विभिन्न परियोजनाओं में तैनात कर्मियों के लिए ₹ 3.56 करोड़ (करों एवं शतता सहित) का कुल भुगतान[34] परमर्शी को किया गया।

  हमलोगों ने अग्रेतर प्रेक्षित किया किः

- अनुबन्ध में त्रुटियाँ थीं जैसे कि अनुबन्ध में जोखिम एवं लागत उपवाक्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था, परमर्शी का भुगतान परामर्शी के प्रदर्शन और परियोजनाओं की प्रगति के साथ सम्बन्धित नहीं था, कम्पनी द्वारा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का प्रावधान अनुबन्ध में शामिल नहीं किया गया था।

- अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि के लिए परामर्शी को भुगतान, एम0एस0ए0 के तहत्, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यो के निष्पादन सुनिश्चित किए बिना किया गया था।

- यद्यपि अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013 तक की अवधि के लिए तैनात कर्मियों का उपस्थिति पत्रक कम्पनी को उपलब्ध कराया गया था, तथापि वह किसी भी स्तर पर कम्पनी द्वारा प्रमाणीकृत नहीं किया गया था।

- अक्टूबर 2013 में, जब परामर्शी ने कार्य परित्याग कर दिया था, एम0एस0ए0 के तहत् आने वाले सभी 15 परियोजनाएँ अधूरे थे।

  कम्पनी ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि परामर्शी की नियुक्ति एवं परियोजनाओं के प्रबन्धन हेतु क्रिटिकल–चेन आधारित प्रणाली अपनाने से कम्पनी विशेष रूप से लाभान्वित हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि कम्पनी परामर्शी के कर्मियों द्वारा दिन प्रतिदिन निष्पादित काम के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण कम्पनी कार्यो के लिए भुगतान करने के पूर्व, परामर्शी द्वारा तैनात कर्मियों की तैनाती एवं उनके द्वारा निष्पादित कार्यो की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी था।

  इस प्रकार, कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा एम0एस0ए0 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप न केवल परामर्शी को ₹ 3.56 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ बल्कि परामर्शी को अनुचित लाभ विस्तार में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, एम0एस0ए0 के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु टी0ओ0सी0–सी0सी0पी0एम0 के अर्न्तगत परामर्शी की नियुक्ति का निहित उद्देश्य भी विफल हो गया।

  मामला सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2014 से) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

[34] जुलाई 2013 से नवम्बर 2013 की अवधि में भुगतान किया गया।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

4.8 टी0डी0एस0 की वापसी का दावा न करने के मद में कम्पनी को हानि

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं कम्पनी द्वारा वित्तीय हितों की अनदेखी करने के फलस्वरूप टी0डी0एस0 की वापसी का दावा न करने के कारण कम्पनी को ₹ 7.33 करोड़ की हानि हुई।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 194 क, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करती है कि सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज, बैंको द्वारा स्त्रोत पर आयकर कटौती (टी0डी0एस0) के अधीन है। बैंक, इस प्रकार कटौती किये गये कर की राशि आयकर विभाग को जमा करती है और अधिनियम की धारा 203 में वर्णित तरीके से अदाकर्त्ता बैंक करदाता संगठन को एक प्रमाण–पत्र प्रदान करेगी। टी0डी0एस0 की वापसी हेतु, जहाँ भुगतेय कर राशि शून्य है अथवा जहाँ शून्य या कम कर दायित्व है, करदाता को आयकर रिर्टन दो वर्ष के अन्दर दाखिल कर दावा प्रस्तुत करना होगा।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2014) से पता चला कि :

- कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान क्रमशः ₹ 305 करोड़, ₹ 377 करोड़ और ₹ 347 करोड़ की राशि छः[35] बैंकों में सावधि जमा के रूप में जमा की थी।
- बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान कम्पनी की जमाराशियों पर अर्जित ब्याज पर ₹ 7.33[36] करोड़ की राशि टी0डी0एस0 के रूप में कटौती की।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि:

- कम्पनी उपर्युक्त वर्णित वित्तीय वर्षो के लिए बैंकों से टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ससमय कार्रवाई करने में विफल रहा। इस प्रकार, कम्पनी को बैंकों द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो कि बैंकों द्वारा आय स्त्रोत पर की गई कटौती की ससमय सूचना की प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव को इंगित करता है।
- यद्यपि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2010–11 के लिए आयकर रिटर्न (आई0टी0आर0) दायर किया था, तथापि उसने कथित आई0टी0आर0 में टी0डी0एस0 की वापसी हेतु दावा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आयकर विभाग से बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती के सम्बन्ध में धन की वापसी के दावा करने हेतु दो साल की निर्धारित समय सीमा के भीतर, आई0टी0आर0 दायर करने में विफल रहा। इस कारण इस राशि के कालातीत एवं अप्राप्त होने के मद में कम्पनी ने वर्ष 2012–13 हेतु अपने खातों से कुल ₹ 7.33 करोड़ की टी0डी0एस0 राशि को अपलिखित कर दिया था।

[35] स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस0बी0आई0), विश्वैश्वरैया भवन, पटना; एस0बी0आई0, शेखपुरा, पटना; एस0बी0आई0, हाईकोर्ट परिसर, पटना; इलाहाबाद बैंक, खाजपुरा, पटना; इलाहाबाद बैंक, शेखपुरा, पटना और सिंडीकेट बैंक, बेली रोड, पटना।

[36] 2008–09 में ₹ 37 लाख, 2009–10 में ₹ 2.69 करोड़, और 2010–11 में ₹ 4.27 करोड़ टी0डी0एस0 की राशि।

- कम्पनी चूँकि वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान क्रमशः ₹ 25 लाख़, ₹ 1.62 करोड़ और ₹ 67 लाख़ की हानि में था, इस कारण टी0डी0एस0 की वापसी का दावा करने हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर कम्पनी की ओर से आई0टी0आर0 दायर करना नितांत आवश्यक था। तथापि, कम्पनी ऐसा करने में विफल रहा। यह कम्पनी में व्याप्त वित्तीय संसाधनों के त्रुटिपूर्ण प्रबंधन तथा कम्पनी द्वारा अपनी वित्तियों हितों की उपेक्षा को इंगित करता है।

  कम्पनी प्रबंधन ने तथ्य और आँकड़े की पुष्टि करते हुए कहा (जुलाई 2014) कि कम्पनी द्वारा टी0डी0एस0 की वापसी का दावा करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, तथ्य यही है कि टी0डी0एस0 की धन वापसी कालातीत और अवसूलनीय मानते हुए प्रबंधन ने पहले से ही टी0डी0एस0 राशि अपने लेखाओं से अपलिखित कर दिया है।

  इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण एवं अपनी वित्तीय हितों की अनदेखी करने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा टी0डी0एस0 की वापसी का दावा न करने तथा अपनी लेखाओं से अपलिखित करने के कारण ₹ 7.33 करोड़ की हानि हुई।

  मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

4.9 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान

कम्पनी द्वारा राजस्व के अनुचित स्वीकरण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान दिया गया।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ई) के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी के निदेशक मण्डल के सिवाय साधारण सभा में अंशधारियों की अनुमति से, कोई राशि धमार्थ एवं अन्य कोष में दान नहीं करेंगे जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है और जो किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार अथवा विगत तीन वर्षों के औसत लाभ का पाँच प्रतिशत, दोनों में जो अधिक हो, से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, कम्पनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) के कार्यान्वयन के लिए निर्गत (दिसम्बर 2009) किए गये स्वैच्छिक दिशा–निर्देश अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करती हैं कि कम्पनी को, सी0एस0आर0 गतिविधियों हेतु अपने बजट में विशेष राशि आवंटित करना चाहिए। यह राशि कर के बाद लाभ, नियोजित सी0एस0आर0 गतिविधियों की लागत या किसी भी अन्य उपयुक्त प्रतिमानकों से संबंधित हो सकता है।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के प्रबंध निदेशक ने निगमित सामाजिक दायित्व के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ का दान देने हेतु परिचालन (मार्च 2012) द्वारा एक संकल्प, निदेशक मंडल (बी0ओ0डी0) को अनुमोदन करने हेतु प्रस्तावित किया। बी0ओ0डी0 ने, सामान्य बैठक में अंशधारकों की मंजूरी की प्रत्याशा में, मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ की राशि के अंशदान का अनुमोदन कर दिया। तद्नुसार, मुख्यमंत्री राहत कोष में कम्पनी ने ₹ एक करोड़ का अंशदान (मार्च 2012) किया।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2013) में अग्रेतर उद्घाटित हुआ कि :

- वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 1.31 करोड़ की स्वीकार्य आय के विरुद्ध लेखों में ₹ 27.03 करोड़ की कुल आय दिखायी गयी थी, जिसमें सरकार की परियोजनाओं से संबंधित धन पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 25.72 करोड़ भी शामिल थी, जो राजस्व स्वीकरण पर लेखांकन मानक 9 का उल्लंघन करते हुए कम्पनी द्वारा अपने स्वयं की आय के रूप में दर्शाया जा रहा था। इस प्रकार, दर्शाये जा रहे ₹ 24.15 करोड़ के लाभ की जगह वास्तव में, कम्पनी ₹ 1.57[37] करोड़ की हानि में थी। कम्पनी द्वारा राजस्व की अनुचित स्वीकरण पर टिप्पणी भी वर्ष 2011–12 के लिए कम्पनी के लेखाओं पर की गयी थी।

- चूँकि कम्पनी के पास कोई अधिशेष उपलब्ध नहीं था, मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ का अंशदान, वास्तव में, अधिनियम की धारा 293(1)(ई) के उल्लंघन में कम्पनी की पूँजी से किया गया था।

- इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री राहत कोष में यह अंशदान, किसी आकस्मिक कारण के लिए योगदान हेतु विशिष्ट माँग के बिना किया गया था।

प्रबंधन ने तथ्य और आँकड़े को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2014) कि सरकार की परियोजनाओं पर आर्जित ब्याज, 2012–13 के बाद सरकारी परियोजना की आय के रूप में मानी जा रही है। प्रबंधन ने आगे कहा (जुलाई 2014) कि राज्य सरकार के विशेष निर्देश के अभाव में, विशेष परियोजना के लिए प्राप्त निधि पर मिलने वाले ब्याज कम्पनी की आय के रूप में लिया गया था और तद्नुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ का अंशदान दिया गया था।

प्रबन्धन का उत्तर पुष्टि करता है कि गलत तरीके से सरकार की निधि पर मिलने वाले ब्याज को कम्पनी की आय के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित योगदान दिया गया था।

इस प्रकार, लेखाओं में राजस्व की अनुचित स्वीकरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के एवं सी0एस0आर0 के दिशा–निर्देशों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ का अनियमित अंशदान हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (मई 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

4.10 निगम कर का परिहार्य भुगतान

सरकारी परियोजनाओं की अप्रयुक्त एवं बैंक जमाओं में निवेशित निधि पर अर्जित ब्याज का कम्पनी द्वारा अपनी आय के रूप में अनुचित विवेचना के फलस्वरूप ₹ 8.43 करोड़ के निगमित कर का परिहार्य भुगतान हुआ।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सूचना प्रौद्यागिकी से सम्बन्धित योजनाओं और परियोजनाओं हेतु ''राज्य कार्यान्वयन एजेंसी'' है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी को अग्रिम में धन प्रदान करते हैं। आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों एवं सम्मेलनों के अनुसार, सरकार की परियोजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त और बैंक जमा में निवेशित धनराशियों पर अर्जित ब्याज, विशिष्ट

[37] अमान्य आय (₹ 25.72 करोड़) – दर्शाया गया लाभ (₹ 24.15 करोड़)= ₹ 1.57 करोड़।

कार्य/सरकारी परियोजनाओं को जमा किया जाता है और उसे कम्पनी की आय नहीं माना जाता है। राज्य सरकार ने भी स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) कि चल परियोजनाओं से सम्बन्धित अप्रयुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज, सम्बन्धित परियोजना निधि, में जमा किया जाना है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2013) से उद्घाटित हुआ कि:

- कम्पनी ने चार[38] सरकारी परियोजनाओं से सम्बन्धित अप्रयुक्त निधि का निवेश, ब्याज अर्जित करने वाली बैंक जमाओं में किया और उस पर 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान ₹ 25.43 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

- आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, सरकार की परियोजनाओं से सम्बन्धित अप्रयुक्त धनराशि के सम्बन्ध में अर्जित ब्याज को कम्पनी द्वारा अपनी स्वयं की आय मानी गई थी और 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि के लिए अपने लाभ और हानि खाते में उसी प्रकार लेखांकन किया गया था। इसकी परिणति वर्ष 2009–10 से 2011–12 की अवधि के लिए ₹ 8.43 करोड़ के निगम कर का, आयकर विभाग को भुगतान, के रूप में हुई जो अनयिमित और परिहार्य था।

  कम्पनी ने कहा (जुलाई 2013) कि वह परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी द्वारा परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निर्गत/निर्धारित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होता है। कई परियोजनाओं की स्वीकृत शर्तों के अनुपालन में, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से अर्जित ब्याज, कम्पनी के खातों की पुस्तकों के माध्यम से नहीं लिया जा रहा था। तथापि, अन्य परियोजनाओं के मामले में किसी भी विशिष्ट नियम और शर्तो के अभाव में, इस तरह के स्वीकृत परियोजनाओं के मद में प्राप्त धनराशि अधिशेष कोष के सामान्य पूल (कम्पनी की निधियों सहित) में रखा गया था जो अधिशेष निधि पर ब्याज अर्जित करने हेतु बैंक के सावधि जमाओं में निवेश किया गया था।

  कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने बैंको को सरकारी परियोजनाओं से सम्बन्धित निधि पर अर्जित ब्याज पर टी0डी0एस0 नहीं काटने का निर्देश दिया था (मार्च 2008) चूँकि यह कम्पनी की आय नहीं थी।

  इस प्रकार, सरकारी परियोजनाओं की अप्रयुक्त एवं बैंक जमाओं में निवेशित निधि पर अर्जित ब्याज का कम्पनी द्वारा अपनी आय के रूप में अनुचित विवेचना के फलस्वरूप ₹ 8.43 करोड़ के निगमित कर का परिहार्य भुगतान हुआ।

  मामला सरकार को प्रतिवेदित (मई 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

4.11 निरर्थक व्यय

खाली पड़े जगह को उप–पट्टे पर देने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

बिहार सरकार ने शीघ्रता से विकास कर रही सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु कलात्मक बुनियादी सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबन्धन की उत्कृष्ट स्थिति का विकास करने के दृष्टिकोण से एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस0टी0पी0) स्थापित करने का निर्णय लिया (मार्च 2001)। कथित एस0टी0पी0, बिहार

[38] आई0सी0टी0@ स्कूल परियोजना, कारावास आधुनिकीकरण परियोजना, यूनिफाइड पावर परियोजना एवं ई–शक्ति परियोजना।

राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (बिस्कोमान) भवन में स्थापित किया गया और यह आई0टी0 विभाग के नोडल एजेंसी होने के नाते, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा संचालित किया जाता है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) से उद्घाटित हुआ किः

- कम्पनी ने बिस्कोमान भवन, पटना में तीन मंजिलों (13वें, 14वें और 15वें) प्रत्येक 11,667 स्क्वायर फुट, के कुल 35,000 स्क्वायर फुट का अधिग्रहण ₹ छह प्रति वर्ग फुट के मासिक किराए पर 10 साल की अवधि हेतु एक पट्टा समझौते के माध्यम से किया (अप्रैल 2002)। पट्टा समझौता प्रति माह ₹ 41.50 प्रति वर्ग फुट की दर से दो वर्ष की अवधि के लिए अप्रैल 2012 के भूतलक्षी प्रभाव से नवीनीकृत किया गया (जुलाई 2013)।

- कम्पनी 14वीं और 15वीं मंजिल के 23,333 वर्ग फुट क्षेत्र, मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस (उप–पट्टेदार), को उप–पट्टे पर प्रदान किया (अक्टूबर 2003)। तथापि, उप–पट्टा क्षेत्र तीन महीने के अग्रिम नोटिस देने के बाद उप–पट्टेदार द्वारा दिसम्बर 2011 में खाली कर दिया गया है, और तब से यह जगह खाली पड़ा है।

- कम्पनी ने आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार से, जनवरी 2012 से बिस्कोमान की खाली पड़ी हुई मंजिलों के किराए के भुगतान हेतु ₹ दो करोड़ की वित्तीय सहायता देने का, अनुरोध (मार्च 2012) किया और बिहार सरकार द्वारा, यह सहायता प्रदान की गई (फरवरी 2013)। इस प्रकार, कम्पनी ने आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त किराए के मद में समर्थन से खाली जगह के लिए ₹ 2.08 करोड़ का किराया भुगतान किया।

- कम्पनी ने मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा दी गई खाली करने की अग्रिम सूचना की तारीख से 14 महीने के अंतराल के बाद विलम्ब से खाली जगह हेतु उप–पट्टा के लिए निविदा आमंत्रित (मई 2013) किया। उप पट्टेदार द्वारा खाली किया गया जगह अभी भी खाली पड़ा हुआ था (मार्च 2014)।

कम्पनी ने तथ्य एवं आँकड़े स्वीकारते हुए कहा (जून 2014) कि किराए का भुगतान एक राज्य सहकारी संगठन अर्थात् बिस्कोमान के लिए किया गया था और उसका प्रयोग बिस्कोमान द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु किया गया था और इस तरह इसे निरर्थक व्यय नहीं माना जा सकता है।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि दो साल से खाली पड़े जगह के लिए किराए का भुगतान किया था।

इस प्रकार, खाली पड़े जगह को उप–पट्टे पर देने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ, जो परिहार्य था। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

4.12 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

दोषपूर्ण अधिप्राप्ति नियोजन एवं विद्यमान बाजार मूल्यों पर डेस्कटॉप कम्प्यूटरों एवं लैपटॉपों के क्रय में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय एवं सरकार को परिणामी हानि हुई।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सामग्री की क्रय हेतु बिहार सरकार

की ''राज्य क्रय एजेंसी'' है। कम्पनी विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त आदेश को पूर्ण अधिप्राप्ति करने हेतु दर अनुबंध के आधार पर आई0टी0 से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सामग्रियों का क्रय करती है। दर अनुबंध को अंतिम रूप देने हेतु कम्पनी विक्रेताओं को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) निर्गत करती है। आर0एफ0पी0 की शर्तों के अनुसार, ''पेशकश की गई दरें प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए और इसी प्रकार के मद हेतु किसी भी सरकारी आपूर्ति/दर अनुबंध में पेशकश की गई कीमतों की तुलना में बेहतर होनी चाहिए''। सरकारी आपूर्ति में महानिदेशक आपूर्ति और निपटान (डी0जी0एस0 एण्ड डी0) शामिल हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) में उद्घाटित हुआ कि:

- कम्पनी ने 348 डेस्कटॉप कम्प्यूटर (डेल निर्मित) की आपूर्ति हेतु चार[39] इंजीनियरिंग महाविद्यालयों से आपूर्ति आदेश प्राप्त किया (मार्च 2012)। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को 274 डेस्कटॉप कम्प्यूटर (डेल निर्मित) और 389 लैपटॉप (डेल निर्मित) की आपूर्ति के लिए एक आदेश वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त हुआ (मई 2012)।

- कम्पनी ने सितम्बर 2010 में दर अनुबंध के आधार पर निर्धारित मूल्य ₹ 58,347 प्रति डेस्कटॉप कम्प्यूटर की दर से और ₹ 55,731 प्रति लैपटॉप कम्प्यूटर की दर से मेसर्स वाइजरटेक इन्फॉरमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता) को पाँच क्रय आदेश (अप्रैल 2012 से मई 2012) दिया। विक्रेता ने आदेश मात्रा के विरुद्ध सभी डेस्कटॉप और 300 लैपटॉप की आपूर्ति कर दी थी।

- कम्पनी उपर्युक्त क्रय आदेशों की तिथि को विद्यमान डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों का विचार करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वर्णित 21 महीनें की अवधि के दौरान, डेस्कटॉप कम्प्यूटर के साथ ही लैपटॉप की बाजार कीमतें अर्थपूर्ण तरीके से लुढ़क कर क्रमशः ₹ 38,627 प्रति इकाई और ₹ 46,200 प्रति इकाई हो गया था जैसा कि मार्च 2012 से मार्च 2013 की अवधि हेतु डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा किये गये अनुबंध से स्पष्ट था।

- कम्पनी उपर्युक्त वर्णित क्रय आदेश विद्यमान बाजार मूल्यों पर देने में विफल रहा जिसके कारण ₹ 1.51 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जो ***परिशिष्ट–4.4*** में वर्णित है।

इस प्रकार, दोषपूर्ण अधिप्राप्ति नियोजन एवं विद्यमान बाजार मूल्यों पर डेस्कटॉप कम्प्यूटरों एवं लैपटॉपों की क्रय में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, यह डेस्कटॉप कम्प्यूटर और लैपटॉप की क्रयादेश देने वाले सम्बन्धित विभागों को परिणामी हानि में भी फलित हुआ।

कम्पनी ने कहा (जुलाई 2014) कि: (क) माँग के समय, निविदा के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया एक दर अनुबंध अस्तित्व में था और इसका ही उपयोग किया गया, एवं (ख) क्रय किया गया डेस्कटॉप मॉडल ''डेल ऑप्टिलेक्स 990 एस0 एफ0'' था जबकि लेखापरीक्षा द्वारा तुलना ''डेल ऑप्टिलेक्स 990 एम0 टी0'' के साथ की गई थी। कम्पनी द्वारा क्रय किए गये डेस्कटॉप का विन्यास डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा क्रय किए गये डेस्कटॉप से बेहतर था और इस कारण उनका मूल्य डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के समान सामग्रियों के क्रयों से अधिक था, (ग) कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये गये लैपटॉप डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा क्रय किए गये लैपटॉप से बेहतर थे।

[39] भागलपुर इंजिनियरिंग महाविद्यालय, भागलपुर; गवरमेन्ट पोलिटेकनिक, कटिहार; लोकनायक जयप्रकाश तकनीकी संस्थान, छपरा एवं एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि दर अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने और अनुरोध के बीच समय अन्तराल 21 महीनों से अधिक था। इसलिए, विद्यमान बाजार कीमतों/ डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों के आधार पर कीमतों का पुनः जाँच किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा, कम्पनी और डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा क्रय किए गये डेस्कटॉप के दोनों मॉडलों की तुलना तथ्यों पर आधारित नहीं था जिसका विवरण ***परिशिष्ट–4.5*** में दिया गया है। उल्लेखित परिशिष्ट से यह स्पष्ट है कि अधिक मूल्य देकर कोई बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का क्रय नहीं किया गया था। लैपटॉप के मामले में कम्पनी और डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा क्रय किया गया मॉडल समान था (अर्थात् डेल लैटीट्यूड 5420 ई0)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड

4.13 निष्क्रिय व्यय

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के दोषपूर्ण नियोजन एवं कार्यान्वयन तथा तद्नन्तर कार्य की समीक्षा नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ का व्यय दो वर्षों से अधिक निष्क्रिय पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ऋण की अग्रेतर किस्त कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र समर्पित कर आहरित किया गया।

किसी भी निर्माण परियोजना का सफल निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु, परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भ के पहले कुशल परियोजना योजना के तहत् परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता के साथ ही इसकी तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता परीक्षण का सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका सं0–4.9 में कम्पनी के दोषपूर्ण नियोजन के कारण ₹ 0.31 करोड़ के निरर्थक व्यय से सम्बन्धित एक कंडिका निरर्थक व्यय के शीर्षक के तहत् उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र समर्पित करके नाबार्ड ऋण की अग्रेतर किस्त आहरित की गई।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को ₹ 6.91 करोड़ और ₹ 8.54 करोड़ का ऋण[40] पश्चिम चंपारण जिले में बरबल (1.6 मेगावाट) और कटन्या (दो मेगावाट) पर क्रमशः ₹ 7.27 करोड़ और ₹ 8.99 करोड़ की अनुमानित लागत पर लघु जलविद्युत परियोजना (एस0एच0पी0) स्थापित करने हेतु स्वीकृति (मार्च 2008) प्रदान किया। निधि की शेष राशि (अर्थात बरबल एस0एच0पी0 के लिये ₹ 36 लाख और कटन्या एस0एच0पी0 के लिये ₹ 45 लाख) बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। नाबार्ड के स्वीकृत्यादेश के अनुसार, परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 2010 थी। कम्पनी द्वारा परियोजना पर अग्रेतर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड को आहरण आवेदन पत्र के साथ ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से व्यय की विधिवत प्रमाणित विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक था। बिहार सरकार में उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं के निष्पादन के मद में प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2009) प्रदान की और कम्पनी को

[40] 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण पर ब्याज, बिहार सरकार द्वारा, नाबार्ड को देय था।

बरबल एस0एच0पी0 के लिए ₹ 5.43 करोड़ और कटन्या एस0एच0पी0 के लिए ₹ 6.90 करोड़ की ऋण[41] राशि मार्च 2011 तक विमुक्त की।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा(फरवरी 2013) से उद्घाटित हुआ किः

- कम्पनी ने, भूमि अधिग्रहण या इन परियोजनाओं के निर्माण के लिये इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना, टर्न–की आधार पर निष्पादन के लिये निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) निर्गत (जनवरी 2009) किया। तथापि, कथित एन0आई0टी0 प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से, परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, के आधार पर रद्द (जून 2009) कर दिया गया था।

- कम्पनी ने मेसर्स चाणक्य टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स गंडक निर्माण प्राईवेट लिमिटेड को बरबल और कटन्या परियोजनाओं के लिये क्रमशः ₹ 8.62 करोड़ एवं ₹ 6.00 करोड़ की लागत से रद्द एन0आई0टी0 के विरुद्ध सिविल कार्य हेतु आशय पत्र (एल0ओ0आई0) निर्गत (अप्रैल 2010) किया और इस हेतु जुलाई 2010 में इसके लिये अनुबंध किया। कथित परियोजनाओं के सिविल कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि जून 2012 था। ये कार्य संवेदकों के रद्द निविदा के विरुद्ध प्रदान किया गया था जो कि अनियमित एवं संविदा प्रबन्धन के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध थे।

- कम्पनी ने बरबल और कटन्या परियोजनाओं के लिये इलेक्ट्रो मेकेनिकल कार्य एक सीमित निविदा के आधार ₹ 6.45 करोड़ और ₹ 6.55 करोड़ की लागत पर क्रमशः मेसर्स एनर्जी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ब्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान (जुलाई 2010) किया गया था । इन परियोजनाओं हेतु मेकेनिकल कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि जून 2011 थी।

- सिविल कार्य का 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने एवं बरबल और कटन्या परियोजनाओं पर ₹ 7.28 करोड़[42] का व्यय करने के उपरांत, दोनों परियोजनाओं के सिविल कार्य को कम्पनी द्वारा क्रमशः जनवरी 2012 और फरवरी 2012 में एक बार फिर से परियोजनाओं के तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता की समीक्षा हेतु, जो अभी तक नहीं (नवम्बर 2014) किया गया था, करने हेतु रोक दिया गया था।

- कम्पनी इन परियोजनाओं के प्रारम्भ करने के पूर्व इनके लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहा जो कार्यादेश निर्गत करने की तिथि के दो वर्ष की समाप्ति के बाद भी बना हुआ था और यह दोषपूर्ण नियोजन का द्योतक था।

- कम्पनी इन परियोजनाओं की तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन करने में विफल रहा जबकि इन परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण में ही ₹ 11.36 करोड़[43] की कुल लागत वृद्धि का सामना करना पड़ा।

---

[41] 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण पर ब्याज बिहार सरकार को देय था और ऋण की वापसी में चूक की स्थिति में अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय था।

[42] बरबल एस0एच0पी0 के लिए ₹ 3.52 करोड़ (₹ 62.42 लाख के मोबलाइजेशन अग्रिम सहित) के साथ कटन्या एस0एच0पी0 के लिए ₹ 3.76 करोड़ (₹ 67.90 लाख के मोबलाइजेशन अग्रिम सहित)।

[43] बरबल एस0एच0पी0 की अनुमानित लागत (यानि ₹ 7.27 करोड़) + कटन्या एस0एच0पी0 की अनुमानित लागत (₹ 8.99 करोड़)–बरबल एस0एच0पी0 की संविदा मूल्य (सिविल कार्य के लिए ₹ 8.62 करोड़ + ई0एम0 कार्य के लिए ₹ 6.45 करोड़) – कटन्या एस0एच0पी0 की संविदा मूल्य (सिविल कार्य के लिए ₹ 6.00 करोड़ + ई0एम0 कार्य के लिए ₹ 6.55 करोड़) = ₹ 11.36 करोड़।

- कम्पनी ने फरवरी 2009 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान नाबार्ड को मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किए गए व्यय की अधिकता में ऋण की अग्रेतर किस्तों के रूप मे ₹ 5.05[44] करोड़ की राशि प्राप्त किया।

- इन परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रो मेकेनिकल कार्य, अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोतों का सुनिश्चयन किए बिना संवेदकों को दिया गया जो अनियमित और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विरुद्ध था।

- चूँकि इन परियोजनाओं हेतु निधियाँ ऋण पर ली गई थीं, संवेदकों को जुलाई 2011 तक कम्पनी द्वारा प्रदान की गई ₹ 1.30 करोड़ मोबलाइजेशन अग्रिम आज तक (मई 2014) असमायोजित/वसूल किया जाना शेष था।

इस प्रकार, लघु जल विद्युत परियोजनाओं के दोषपूर्ण नियोजन एवं कार्यान्वयन एवं तद्न्तर कार्य समीक्षा नहीं करने के फलस्वरूप न सिर्फ ₹ 7.28 करोड़ का व्यय दो वर्षो से अधिक निष्क्रिय पड़ा रहा बल्कि राज्य के लक्ष्यित 3.6 मेगावाट का अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का अपेक्षित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ऋण की अग्रेतर किस्त कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र समर्पित कर आहरित किया गया।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित (जून 2011) किया गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

सामान्य

4.14 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से संवादित किया जाता है। सा0क्षे0उ0 के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर चार सप्ताह के अन्दर देना होता है। मार्च 2014 तक 23 सा0क्षे0उ0 को निर्गत नि0प्र0 से यह स्पष्ट होता है कि 589 (नि0प्र0) से सम्बद्ध 1545 कंडिकाएँ सितम्बर 2014 तक लम्बित थीं। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से आठ वर्षों तक अनुत्तरित थीं। 30 सितम्बर 2014 तक लम्बित नि0प्र0 एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभाग–वार ब्योरा ***परिशिष्ट–4.6*** में दी गयी है।

उसी प्रकार सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्ध–सरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गये। अपितु यह पाया गया कि अप्रैल से अगस्त 2014 की अवधि में विभिन्न विभागों को अग्रसारित दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं 13 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर ***परिशिष्ट–4.7*** में दिए विवरण के अनुरूप प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2014)।

[44] [बरबल एस0एच0पी0 के लिए प्राप्त ऋण (यानि ₹ 5.43 करोड़) + कटन्या एस0एच0पी0 के लिए प्राप्त ऋण (यानि ₹ 6.90 करोड़)]–[बरबल एस0एच0पी0 पर व्यय (₹ 3.52 करोड़) + कटन्या एस0एच0पी0 पर व्यय (₹ 3.76 करोड़)] = ₹ 5.05 करोड़।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया विद्यमान हो, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही हो, और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

पटना **(पी0 के0 सिंह)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**